

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां, जिला बारां

कार्यालय आदेश


श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक लेवल-1 का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-1 पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इनका वेतन माह जून 2017 से समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।


समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(पांचूराम सैनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अध्या.ले-1/समायोजन/2017/803 दिनांक : 04.06.2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


(पांचूराम सैनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जि.शिक्षा/मा/बारां/संस्था-1/ले-1/समायोजन/2017/803

दिनांक : 04.06.2017

क्र. सं.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-I
1	जयरानी मेहरा	बारां	राबामावि पुरानाथाना बारां	राबाउमावि बारां	बारां	F	28/04/1978	लेवल-I
2	चतर सिंह	अटूरु	राउमावि अरनिया	रामावि दीवाली	अटूरु	M	07/07/1959	लेवल-I
3	महावीर मीणा	अन्ता	राउमावि तिसाया	राआउमावि सीसवाली	अन्ता	M	01/06/1971	लेवल-I
4	नन्दकिशोर सहरिया	शाहाबाद	रामावि दांता	राआउमावि कैलवाडा	शाहाबाद	M	16/04/1975	लेवल-I
5	कैलाश सहरिया	शाहाबाद	रामावि दांता	राआउमावि कैलवाडा	शाहाबाद	M	05/06/1970	लेवल-I

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां, जिला बारां

कार्यालय आदेश


श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1A विषय हिन्दी का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-1A पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इनका वेतन माह जून 2017 से समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।


समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(पांचूराम सैनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अध्या.ले-1A हिन्दी/समायोजन/2017/ दिनांक : 04.06.2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


(पांचूराम सैनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां
आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/समायोजन/हिन्दी/2017/804 दिनांक : 04.06.2017

क्र. सं.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-II	विषय
1	सुनिता गुप्ता	बारां	राउमावि बारां	राआउमावि फतेहपुर	बारां	F	15/08/1965	लेवल-II	HINDI
2	प्रमिला शर्मा	बारां	राबामावि पुरानाधाना बारां	राआउमावि सोन्दलक	बारां	F	19/07/1970	लेवल-II	HINDI
3	कुसुमबाला नागर	अटरू	राउमावि आटोन	राआउमावि बरला	अटरू	F	02/03/1969	लेवल-II	HINDI
4	कृष्णा महावर	अन्ता	राउमावि रातडिया	राउमावि अन्ता	अन्ता	F	05/11/1981	लेवल-II	HINDI
5	कंचन कुमावत	किशनगंज	बाउमावि नाहरगढ	राआउमावि अमलसरा	अन्ता	F	01/07/1981	लेवल-II	HINDI
6	जोधराज सुमन	अन्ता	राउमावि मांगरोल	राआउमावि रायथल	अन्ता	M	01/07/1971	लेवल-II	HINDI
7	रामप्रसाद रेगर	अन्ता	राउमावि तिसाया	राआउमावि सीसवाली	अन्ता	M	10/08/1968	लेवल-II	HINDI


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां, जिला बारां

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1A विषय सामाजिक का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापक लेवल-1A पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इनका वेतन माह जून 2017 से समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

(पांचूराम सैनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्रे.अध्या.ले-1A सामाजिक/समायोजन/2017/ दिनांक : 04.06.2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(पांचूराम सैनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/समायोजन/सामाजिक/2017/805 दिनांक : 04.06.2017

क्र.सं.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	अध्यापक लेवल-II	विषय
1	मंजू शर्मा	शाहाबाद	राउमावि दांता	राबाउमावि किशनगंज	किशनगंज	F	18/08/1973	लेवल-II	सामाजिक
2	शिवपाल नागर	अन्ता	राउमावि सोरसन	राउमावि अन्ता	अन्ता	M	05/09/1966	लेवल-II	सामाजिक
3	सीताराम मीणा	अन्ता	राउमावि तिसाया	राआउमावि सीसवाली	अन्ता	M	01/01/1958	लेवल-II	सामाजिक

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां